

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ऑफ़िस नाथ आर्य
उप सचिव,

सेवा में,

आभ्यास,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली- 110092

पटना, दिनांक

29/06/10

विषय : संत पथिक विद्यालय रतनगंज, भागलपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में, जिला शिक्षा प्रदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा संत पथिक विद्यालय रतनगंज, भागलपुर को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय संत पथिक सेवाक समाज ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेंचाइजी अथवा किसी विद्यालय के वड नेग उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी०बी०एस०ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त तपरकर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति सनाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 19 (उन्नीस) शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से बढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्क, वार्षिक लेख अंकक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्यवाई करे इसे सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है।

अपेक्षित शर्त के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निः शुल्क किया जायेगा तथा उन्से ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में

(बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से अन्तर की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8 यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 इंडो नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9 साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित भाता का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त स्पष्टजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख का प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा आवश्यक रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

10 विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11 विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12 उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर सत पथिक विद्यालय रतनगंज, भागलपुर को सी0 बी0 एस0 इंडो नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ऑंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

ज्ञापक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर को उनके पत्रांक 3039 दिनांक 29.12.2009 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(ऑंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

ज्ञापक.....

556

दिनांक.....

29/06/10

प्रतिलिपि : प्राथमिक संत पथिक विद्यालय रतनगंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(ऑंकार नाथ आर्य)

उप सचिव